



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 604 राँची, गुरुवार, 12 अग्रहायण, 1942 (श०)
03 दिसम्बर, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2020

संख्या-02/रा.स्था.-14/2020-3663/रा.,-- श्री महेन्द्र मांझी, झा.प्र.से., अंचल अधिकारी, साहेबगंज (गृह जिला-गोड्डा) को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/रा.स्था.-14/2020-3664/रा.,-- श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, झा.प्र.से., कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका (गृह जिला-पलामू) को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अंचल अधिकारी, बसिया, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-02/रा.स्था.-14/2020-3665/रा.,-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-2273, दिनांक-04.03.2014 द्वारा सेवाप्राप्त श्रीमती नीतु कुमारी, अंचल अधिकारी, बोरियो, साहेबगंज (गृह जिला-रामगढ़) की सेवा तत्काल प्रभाव से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस की जाती है।

संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी को नवपदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब विरमित करेंगे एवं नवपदस्थापित पदाधिकारी का प्रभार आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। नवपदस्थापित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन तुरंत सरकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचनाएं विलोपित समझी जायगी।

नव पदस्थापित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापित स्थल पर अविलम्ब योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। स्थानांतरित पदाधिकारी के अगले माह का वेतन का भुगतान स्थानांतरित स्थान से किया जाएगा। जिन पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है वे विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव
